संख्या-614/2017/1161/22-2-2017-17(239)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेश पुत्र श्री मुद्दई, निवासी जनपद-हरदोई की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुरेश पुत्र श्री मुद्दई, ग्राम-चमरटोला मजरा जाजूपुर, थाना-अतरौली, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 17.09.1995 को केशव पाल की 10 वर्षीय भतीजी बिटुला का जानवर चराते समय बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी तथा लाश अरहर के खेत में फेंक दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-803/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालधीश, कोर्ट न0-2, हरदोई के आदेश दिनांक 31.01.1998 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.09.1998 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2017 तक 21 वर्ष 09 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 01 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 51 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 17.09.1995 को केशव पाल की 10 वर्षीय भतीजी बिटुला का जानवर चराते समय बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी तथा लाश अरहर के खेत में फेंक दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेश पुत्र श्री मुद्दई को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुरेश (बन्दी संख्या-12792) पुत्र श्री मुद्दई, निवासी जनपद-हरदोई की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-614/2017/1161/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।